

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/


जयपुर, दिनांक 9.3.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 9.3.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:-


1. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए विवरण सहित शासन सचिव महोदय की ओर से लिखवाया जाये।
(परि0निदे0-सीएसएस)
2. बीएडीपी में जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित कराये तथा योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त की जाये।
(परि0निदे0-सीएसएस)
3. श्री योजना में प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर वित्त विभाग से राशि एवं पदों की स्वीकृतियों प्राप्त की जाये।
(एस.ई. मनरेगा)
4. बायोफ्यूल योजना में बंजर भूमि विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की जाये।
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल)
5. बायोफ्यूल योजना के तहत जिलों से भूमि बैंक की सूचना आजीविका योजना के तहत डीपीए को बंजर भूमि संबंधी सूचना उपलब्ध करायी जाये जिससे कि आजीविका प्रोजेक्ट के लिए भूमिहीनों को भूमि आवंटित की जा सके।
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल)
6. आईएवाई व अन्य योजना के लिए जिलों में भेजी गयी टीम से फीडबैक प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जाये।
(एस.ई. आईएवाई)
7. सभी योजनाओं में विशेषकर भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
(समस्त अधिकारी)
8. मैनीफेस्टो के संबंध में प्रगतिरत व अपूर्ण बिन्दुओं पर पत्रावली पर कार्यवाही प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना शासन सचिव महोदय के अवलोकनार्थ गुरुवार तक आवश्यक रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग
7. अधीक्षण अभियन्ता, मनरेगा (श्री योजना)/आईएवाई
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
 (दूरभाष 0141-2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 9.3.2015 में दिये गये निर्देश एवं अनुपालना निम्नानुसार है:-

क.सं.	निर्देश	अनुपालना
1	बीएडीपी योजना में लाइन विभागों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए विवरण सहित शासन सचिव महोदय की ओर से लिखवाया जाये।	विभागों को लिख दिया गया है।
2	बीएडीपी में जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित कराये तथा योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त की जाये।	पीडी एसपी-सीएसएस- सबसे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये है।
3	श्री योजना में प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर वित्त विभाग से राशि एवं पदों की स्वीकृतियों प्राप्त की जाये।	प्रक्रियाधीन है।
4	बायोफ्यूल योजना में बंजर भूमि विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की जाये।	प्रक्रियाधीन है।
5	बायोफ्यूल योजना के तहत जिलों से भूमि बैंक की सूचना आजीविका योजना के तहत डीपीए को बंजर भूमि संबंधी सूचना उपलब्ध करायी जाये जिससे कि आजीविका प्रोजेक्ट के लिए भूमिहीनों को भूमि आवंटित की जा सके।	प्रक्रियाधीन है।
6	आईएवाई व अन्य योजना के लिए जिलों में भेजी गयी टीम से फीडबैक प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जाये।	बैठक में सूचना प्रस्तुत की जायेगी।
7	सभी योजनाओं में विशेषकर भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	एमपी लैंड में समस्त सांसदों की द्वितीय किश्त प्राप्त कर ली गयी है। बीएडीपी योजना में द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है।
8	मैनीफेस्टो के संबंध में प्रगतिरत व अपूर्ण बिन्दुओं पर पत्रावली पर कार्यवाही प्रस्तुत की जाये।	सभी अनुभागों द्वारा पत्रावलियों प्रस्तुत कर दी गयी है।


 12/3/15
 परिपालना निदेशक एवं
 पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

शासन सचिव
 ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/
 जयपुर, दिनांक